


Form No-111

अज्ञ अदालत (नियम 26) मजमा-ए-आम

किरम मुकदमा 139 एन और एन जी.सी.एम.एस. आई.डी 2022/ 113

<p>तारीख मुम</p>	<p>दुम या जमाबंदी मम अनिशयता अज</p>	<p>नमर व तारीख अजमाव जो इस मुम की तारीख में जारी किए</p>
<p>5/1/2022</p>	<p>तहसीलदार भू.अ./मुम-तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.पां.सं.अ./2022/1620 दिनांक 5/1/2022 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैंप कोर्ट ग्राम पंचायत <u>दासी</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>ओमरस</u> की जमाबंदी राबत <u>चालु</u> के खाता सं. <u>29</u> में <u>उमैद प्रकाश</u> <u>पुत्री नानुराज, सुनिता पुत्री नानुराज, सन्तोष पुत्री नानुराज</u> <u>जाति मेधकाल वा-ओमरस</u> के स्थान पर <u>उमैद प्रकाश, सन्तोष पुत्री पुत्री नानुराज</u> <u>भागवती पुत्री नानुराज जाति मेधकाल वा-रेड</u> <u>कोरडा</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैंप कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/सम्व तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>ओमरस</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत <u>चालु</u> के खाता सं. <u>29</u> में <u>उमैद प्रकाश पुत्री नानुराज</u> <u>सुनिता पुत्री नानुराज, सन्तोष पुत्री नानुराज जाति</u> <u>मेधकाल वा-ओमरस कोरडा</u> के स्थान पर <u>उमैद प्रकाश, सन्तोष पुत्री नानुराज, भागवती</u> <u>पुत्री नानुराज जाति मेधकाल वा-रेड</u> <u>कोरडा</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दपतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	
<p>(अर्पिता सोनी) उपखण्ड-आधिकारी रायसिंहनगर <u>उमैद-दासी</u></p>		